स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 39, दिनांक 23–01–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाला तस्कर राहुल मिश्रा जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध असलहे और कारतूस बरामद।

दिनांकः 23–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले राहुल मिश्रा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से अवैध असलहे और कारतूस बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– राहुल मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा निवासी ग्राम भिगुना, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः–

1– 05 अदद पिस्टल .32 बोर ।
2– 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर ।
3– 01 अदद पैन कार्ड।
4– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस
6– रूपये 6,60 नगद।

गिरफ्तारी का स्थानः–

हिन्द अण्डर पास के पास थानाक्षेत्र कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी। दिनांक 23–01–2025 समयः लगभग 14:.37 बजे।

विगत कुछ दिनों से एसटीएफ उ0प्र0 को उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह के सकिया होकर तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यावाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 23–01–2024 को उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी, उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0 अमित कुमार सिंह, मु0आ0 स्वरूप कुमार पाण्डेय की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद बाराबंकी में भ्रमणशील थी, इस दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गैंग का एक सदस्य हिन्द अण्डर पास के पास थानाक्षेत्र कोतवाली नगर में मौजूद है यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहॅुचकर, मुखबिर की निशादेही पर आवश्यक घेराबन्दी करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार राहुल मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि वह अवैध असलहों को इन्दौर मध्यप्रदेश से लाकर लखनऊ के आस–पास के जनपदों में सप्लाई करता है। यह इन्दौर मध्य प्रदेश से इन असलहों को 40,000 से 45,000 हजार रूपये में खरीद कर लाता है तथा लखनऊ के आस–पास के जनपदों में इन अवैध असलाहों को 75,000 से 80,000 रूपये में बेचता है तथा अवैध असलहों की तस्कारी का कार्य काफी समय से कर रहा है। यही इसके जीवन यापन का जरिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0– 83/25 धारा–3/25(8) आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।